रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266764
CG-DL-E-08102025-266764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4410] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947
No. 4410] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4538(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1675(अ), दिनांक 03.04.2025 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड द्वारा दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से पर्वट तक, जहां इसे डी.एन.इ.पी.एल. का मौजूदा पाइपलाइन सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जो आर.आई. एल.– हजीरा मेन्युफक्चरिंग डिवीज़न से जुड़ेगी, तरल ईथेन के परिवहन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना प्रतियाँ दिनांक 16.04.2025 से 29.04.2025 तक जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में, जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपो पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्नात कर दिया गया;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें सभी विल्लंगमों से मुक्त, उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्दे"ा देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : हांसोट	जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वे सं0/सब डिविजन सं0	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग.मी.
1	2	3	4	5
1) मोठिआ	216	00	04	60
	413	00	04	59
	414	00	01	51
	412	00	16	29
	411	00	05	60
	418	00	12	80
	422	00	22	76
	421	00	07	10
	430	00	31	75
	435	00	05	88
	448	00	13	54
	447	00	07	74
	454	00	51	61
	458	00	03	49
	457	00	12	62
	459	00	19	86
	460	00	21	35
	461	00	10	29
	462	00	11	21
	463	00	11	17
	464	00	01	30
2) शेरा	9	00	00	53
	459	00	04	48
	458	00	19	83
	456	00	13	94
	449	00	14	99

शेरा	450	00	29	89
	447	00	14	97
	444	00	03	61
	439	00	00	85
	427	00	30	87
	426	00	06	56
	280	00	32	67

[फा. सं. एल.-14014—3—2025-जी.पी-.II (ई—52145)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2025

S.O. 4538(E).— Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 1675(E) dated 03-04-2025, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India had declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Parvat, where it will be hooked-up with the existing pipeline facilities of DNEPL, interconnecting with RIL-Hazira Manufacturing Division should be laid by M/s Reliance Ethane Pipeline Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public from 16-04-2025 to 29-04-2025;

And whereas, the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, the Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the said pipeline, has decided to acquire the Right of User therein, free from all encumbrances;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the said pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipeline Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE				
Taluka: HANSOT	**District: BHARUCH**	**State:GUJARAT**		
Name of Village	**Survey No./Sub-Division No.**	**Area to be acquired for ROU**		
		Hec	**Are**	**Sq.m.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1) Mothia	216	00	04	60
	413	00	04	59
	414	00	01	51

Mothia	412	00	16	29
	411	00	05	60
	418	00	12	80
	422	00	22	76
	421	00	07	10
	430	00	31	75
	435	00	05	88
	448	00	13	54
	447	00	07	74
	454	00	51	61
	458	00	03	49
	457	00	12	62
	459	00	19	86
	460	00	21	35
	461	00	10	29
	462	00	11	21
	463	00	11	17
	464	00	01	30
2) Shera	9	00	00	53
	459	00	04	48
	458	00	19	83
	456	00	13	94
	449	00	14	99
	450	00	29	89
	447	00	14	97
	444	00	03	61
	439	00	00	85
	427	00	30	87
	426	00	06	56
	280	00	32	67

[F. No. L-14014-3-2025-GP-II (E-52145)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.08 16:25:55 +05'30'